(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R 1417-PBR-17

प्र.-- /पी.बी.आर./2017 निगरानी

श्रीमती शारदा देवी गर्ग पत्नि श्री रामबाबू गर्ग, निवासी– श्री राम भवन, राम मँदिर के पीछे, फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर म.प्र. ....आवेदक

श्री .... के .... द्वारा आज दि. 22-5-17 को प्रस्तुत

22/5/17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. मुन्ना सिंह (~~पिर्छद पसि~~) आत्मज श्री काशीराम जी कुशवाह, निवासी तारागंज, काला सैयद रोड, लश्कर, गवालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र.।
2. श्रीमती किरन गुप्ता पत्नि श्री देवेन्द्र गुप्ता, निवासी लक्ष्मीगंज पेट्रोल पंप के सामने, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र.।
3. हेमन्त गुप्ता पुत्र हरवंशलाल गुप्ता, लक्ष्मीगंज पेट्रोल पंप के सामने, लश्कर, ग्वालियर, म.प्र.।
4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर, म.प्र.।

.............अनावेदकगण

22-5-17

नायब तहसीलदार, वृत बहोडापुर, तहसील ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/2015–16/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1417-पीबीआर/17 **जिला** ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 13-4-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा अंतिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जो अपीलीय योग्य है, किन्तु आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं कर, निगरानी प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायोगा) में अंतिम प्रकृति के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है । अत: यह निगरानी प्रथम दृष्टया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	